



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

कर प्रकरण संख्या 54/2009

अपीलकर्ता:

भारत संचार निगम लिमिटेड

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर न्यायाधिकरण (CESTAT) और अन्य

विचारणार्थ निर्णय



सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

में सहमत हूँ ।

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक-12-2009 को नियत

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

कर प्रकरण संख्या 54 वर्ष 2009

अपीलकर्ता:

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जे.आर. आर्मा आयु लगभग 58 वर्ष पिता स्वर्गीय मनोहर राम, मुख्य लेखा अधिकारी (टीआर)

जीएमटीडी कार्यालय बी.एस.एन.एल. रायपुर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थागण:

1- केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा अध्यक्ष, पश्चिम ब्लॉक संख्या 2 आर.के. पुरम नई दिल्ली ।

2- आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, सेंट्रल एवेन्यू बिल्डिंग रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

उपस्थित:

श्री नवीन कुमार सिंह सहित श्री प्रकाश झा और श्री संजय पटेल अपीलकर्ता के अधिवक्ता के साथ।

श्री भीष्म किंगर प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता ।

खंडपीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर न्यायधीश

निर्णय (8 दिसंबर, 2009 को सुनाया गया)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय धीरेन्द्र मिश्रा न्यायधीश द्वारा सुनाया गया।

1- अपीलकर्ता ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली (संक्षेप में सीईएसटीएटी के आदेश के विरुद्ध केंद्रीय उत्पाद शुल्क



अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 35-जी के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके तहत अपीलकर्ता निगम द्वारा अधिनियम की धारा 35-एफ के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को समय-सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

2- मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि 1994 से 2000 की अवधि के लिए सेवा कर के भुगतान के संबंध में एक विवाद दूरसंचार विभाग और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग के बीच उत्पन्न हुआ था। दूरसंचार विभाग और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग दोनों विभाग केंद्र सरकार के अंग हैं। प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 11-1-2000 (अनुलग्नक-ए/1) को अपीलकर्ता को एक नोटिस जारी किया जिसमें कारण बताओ नोटिस में मांगे गए सेवा कर और सेवा कर का भुगतान न करने पर उन पर अधिभार और जुर्माना क्यों न लगाया जाए और कर भुगतान में देरी वाले प्रत्येक माह या उसके भाग पर 1.5% की दर से ब्याज क्यों न लगाया जाए, यह पूछा गया। अपीलकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया। अपीलकर्ता ने अपने उत्तर में नोटिस में आरोपित तथ्यों का खंडन किया और कारण बताओ नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया।

3- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त, रायपुर ने अपने आदेश दिनांक 9-8-2001 (अनुलग्नक-ए/3) द्वारा यह माना कि:

- (i) टेलीफोन सेवाओं पर सेवा कर जुलाई, 1994 से प्रभावी था और इसलिए, जुलाई, 1994 के बिलों पर सेवा कर का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (ii) टेलीफोन बिलों के विलंबित भुगतान पर अधिभार की राशि पर सेवा कर नहीं लगाया जाता।
- (iii) सेवा कर के विलंबित भुगतान पर 1.5% प्रति माह या उस माह के किसी भाग की दर से ब्याज, जिससे विलंबित सेवा की राशि जमा की जानी है, की गणना की जाएगी और नोटिस द्वारा भुगतान किया जाएगा, जैसा कि ऊपर उप कंडिका (i) और (ii) में चर्चा की गई है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया गया और कार्यवाही समाप्त कर दी गई।



आयुक्त ने अपने पूर्व के अनुलग्नक-ए/3 के आदेश में संशोधन करते हुए, दिनांक 15 अक्टूबर, 2001 के अनुलग्नक-ए/4 के आदेश द्वारा अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, सेवा कर संभाग, रायपुर को सेवा कर के लंबित भुगतान पर 1.5% की दर से ब्याज की गणना करने का निर्देश दिया, जिससे सेवा कर या उसके किसी भाग का भुगतान विलंबित हुआ था। साथ ही, प्रत्येक दिन के लिए 200/- रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसके दौरान सेवा कर का भुगतान न कर पाने की अवधि जारी रही, लेकिन यह राशि वित्त अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत भुगतान न कर पाने की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी माना गया कि वित्त अधिनियम की धारा 78 के अंतर्गत जुर्माना लगाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कर योग्य मूल्य को छिपाया नहीं गया था।

4- अपीलकर्ता ने अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के समक्ष दिनांक 30 अक्टूबर, 2001 (अनुलग्नक-A/5) के माध्यम से सेवा कर की पूरी गणना करके सरकारी खाते में जमा करने का विवरण प्रस्तुत किया। हालाँकि, अधीक्षक ने दिनांक 13 फरवरी, 2002 (अनुलग्नक-A/6) के माध्यम से 5,30,28,600/- रुपये का जुर्माना और विलंब पर ब्याज के रूप में 94,61,200/- रुपये की मांग की। अपीलकर्ता ने उपायुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अधीक्षक द्वारा अनुलग्नक-ए/7 के तहत पारित दिनांक 26-2-2002 के आदेश पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता ने अधीक्षक के समक्ष दिनांक 29-4-2003 (अनुलग्नक-ए/8) का अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि सेवा कर की राशि जमा करने में कोई देरी नहीं हुई थी, क्योंकि यह राशि मद संख्या एमएच-044 के अंतर्गत जमा करने के बजाय केंद्र सरकार के खाता मद संख्या एमएच-1225 के अंतर्गत जमा की गई थी। यह सरकारी खाते में जमा करने में देरी नहीं है, बल्कि इसे विभाजित करना एक गलती थी। सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, त्रिनुवेली संभाग के निर्णय का हवाला देते हुए, यह ध्यान में लाया गया कि खाता संख्या एमएच-044 में जमा करने में देरी के लिए ब्याज और जुर्माना 30 सितंबर, 1997 के आदेश द्वारा माफ कर दिया गया था।

5- अंततः, अपीलकर्ता ने दिनांक 27-8-2004 को मामले को भारत सरकार की विवाद समिति (संक्षेप में 'सीओडी') को भेज दिया और सीओडी ने अपनी बैठक दिनांक 12-5-2005 (अनुलग्नक-ए/10) में अपीलकर्ता को सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर करने



की अनुमति प्रदान की। इसके बाद, अपीलकर्ता ने दिनांक **9-3-2007** को सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की, साथ ही अनुलग्नक-ए/11 के तहत विलंब की माफी के लिए एक आवेदन भी दिया, हालाँकि, अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सीओडी से अनुलग्नक-ए/12 के तहत अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। उत्तरदातागण ने दिनांक **21-6-2007** को **CESTAT** के समक्ष प्रति-आपत्ति दायर करने में हुई देरी के लिए क्षमादान हेतु आवेदन के साथ अनुलग्नक-ए/13 प्रस्तुत किया। दिनांक **22-2-2008** को, अपील के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत आवेदन अनुलग्नक- ए/14 के द्वारा स्वीकार किया गया तथापि, अपील को विलंब के आधार पर दिनांक **21-5-2008** के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

6- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से आक्षेपित आदेश को चुनौती दी थी, तथापि, उचित अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई थी। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को पुनः दिनांक **6 जुलाई, 2009** के आदेश अनुलग्नक-ए/20 के तहत परिसीमा अवधि के आधार पर खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात, अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील हेतु विशेष अनुमति याचिका संख्या **20334/2009** प्रस्तुत की। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक **28-8-2009** के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को **3 सप्ताह** की अवधि के भीतर सीईएसटीएटी के दिनांक **21 मई, 2008** के निर्णय के विरुद्ध सीधे सिविल अपील दायर करने का निर्देश दिया। यह भी कहा गया कि यदि सिविल अपील तीन सप्ताह के भीतर दायर की जाती है, तो मामले को विलंब के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। इसके बाद, अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या **27705/2009** दायर की, हालाँकि, **19 अक्टूबर, 2009** के आदेश द्वारा विशेष अपील अनुमति और सिविल अपील का निपटारा कर दिया गया, जिसमें अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय में कर अपील दायर करने में विलंब के लिए क्षमा हेतु अधिनियम की संशोधित धारा **35-जी** के मद्देनजर उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी गई।

7- उन्होंने आगे कहा कि समान पक्षकारों के बीच इस अपील में शामिल मुद्दे पर **CESTAT** द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और **CESTAT** ने अपने आदेश अनुलग्नक-**A/9** के माध्यम से इस प्रकार निर्णय दिया है:-



"अपीलकर्ता केंद्र सरकार का एक विभाग है। यह मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, टेलीफोन शुल्क और सेवा कर के लिए ग्राहकों से प्राप्त राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। अपीलकर्ता का मामला यह है कि वे प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श से दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कर रहे थे। मार्च 1999 तक इस प्रक्रिया का पालन किया गया। इसके बाद, महाप्रबंधक वर्ष 1998 में जारी एक परिपत्र के आलोक में, शीर्ष 0044 के अंतर्गत सेवा कर को सीधे केंद्र सरकार के बही खाते में जमा कर रहे हैं। इस प्रकार, दूरसंचार विभाग मुख्यालय को विवरण भेजने के कारण होने वाली देरी से बचा जा रहा है। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जहाँ अपीलकर्ता केंद्र सरकार का एक विभाग है और वह प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कर रहा था और इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप देरी हुई है, और यह तथ्य कि अभिदाताओं से प्राप्त राशि डाकघर में केंद्र सरकार के खाते में दैनिक आधार पर जमा की जाती थी, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह दृष्टिकोण केवल इस मामले के तथ्यों के संदर्भ में लिया जा रहा है, जहाँ केंद्र सरकार के विशिष्ट खाते में सेवा कर जमा करने में देरी किसी और द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के एक विभाग द्वारा की गई है और इस तथ्य के कारण भी कि राशि केंद्र सरकार के खाते में दैनिक आधार पर जमा की जाती थी। इसलिए, हम आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और अपील स्वीकार करते हैं।

- 8- सीईएसटीएटी ने बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 516 और 517/2006 में पारित अपने अंतिम आदेशों दिनांक 21-2-2006 के माध्यम से अपीलों को इस टिप्पणी के साथ स्वीकार किया कि अपीलकर्ताओं के मामले में ब्याज की मांग को न्यायाधिकरण ने इस आधार पर रद्द कर दिया है कि कर का भुगतान समय पर किया गया था और केवल एक मद के खाते से दूसरे मद के खाते में स्थानांतरण में देरी हुई थी। स्थानांतरण में इस



तरह की देरी को अपीलकर्ता के कारण नहीं माना गया है। चेन्नई टेलीफोन्स (बीएसएनएल) बनाम सीसीई, चेन्नई (2004 (174) ईएलटी 246 (ट्राई-चेन्नई)) और अपीलकर्ता के अपने मामले (2003 (160) ईएलटी 318 (ट्राई-डेल)) और (2003 (156) ईएलटी) में रिपोर्ट किए गए अपने पहले के आदेशों के बाद 397 (ट्राई-डेल.)) में, CESTAT ने माना कि देरी बीएसएनएल के कारण नहीं हुई थी और देरी दूरसंचार विभाग के कारण हुई थी, इसलिए देरी के कारण ब्याज नहीं लगाया जा सकता।

9- समिति ने अपनी दिनांक 12-5-2005 की बैठक में दर्ज किया कि बीएसएनएल और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बीच विवाद मुख्यतः बीएसएनएल के अस्तित्व में आने से पहले की अवधि से संबंधित है, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसने देश में (मुंबई और दिल्ली को छोड़कर) दूरसंचार सेवाओं का संचालन अपने हाथ में ले लिया है। दूरसंचार विभाग द्वारा परिकल्पित सेवा कर समय पर सरकारी खाते में जमा कर दिया गया था और विवाद केवल समय पर जमा किए गए सेवा कर को संबंधित बजट मद में स्थानांतरित करने से संबंधित है, जो कि सरकार के एक खाते से दूसरे खाते में राशि स्थानांतरित करने का एक प्रक्रियात्मक मामला मात्र है और इसलिए, किसी भी ब्याज या जुर्माने के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता और तदनुसार, समिति ने बीएसएनएल को सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देने का निर्णय लिया।

10- यह भी तर्क दिया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने सीईएसटीएटी के दिनांक 2-6-2003 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने हेतु मंजूरी के लिए आवेदन किया था, जिसके तहत सीईएसटीएटी ने 1998 से 2000 की अवधि के लिए सेवा कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग को रद्द कर दिया था। हालाँकि, सीओडी ने सीबीईसी को यह कहते हुए मंजूरी न देने का निर्णय लिया कि सीईएसटीएटी ने सेवा कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग को सही ढंग से रद्द किया है और सीईएसटीएटी द्वारा पारित ये आदेश, जिनमें सेवा कर को उचित मद में स्थानांतरित करने में देरी के लिए ब्याज और जुर्माना लगाने को रद्द किया गया था, अंतिम रूप ले चुके हैं। सीओडी द्वारा पारित आदेशों और समान विवाद के संबंध में बीएसएनएल और उत्पाद शुल्क विभाग के बीच सीईएसटीएटी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उस आक्षेपित आदेश की समीक्षा करने के लिए सद्भावपूर्वक प्रस्तुत कर रहा था, जिसके तहत तत्कालीन दूरसंचार विभाग द्वारा सेवा कर को सही मद में स्थानांतरित करने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया था और इस प्रकार, अपील दायर करने में देरी सद्भावपूर्ण है।



11- उन्होंने आगे तर्क दिया कि आयुक्त ने अपने दिनांक 9-8-2001 के अनुलग्नक-ए/3 के आदेश को दिनांक 27-9-2001 के आदेश द्वारा संशोधित किया और सेवा कर के भुगतान में देरी के लिए जुर्माना लगाया। अनुलग्नक-ए/4 का परिशिष्ट प्रारंभ से ही शून्य और अधिकार क्षेत्र से बाहर है और कानून की दृष्टि में यह अमान्य है और अपीलकर्ता इसे किसी भी स्तर पर चुनौती दे सकता है। अनुलग्नक-ए/3 का आदेश पारित करने के बाद आयुक्त अधिकारहीन हो गए और वे उसमें संशोधन नहीं कर सकते थे और परिशिष्ट के माध्यम से अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं कर सकते थे।

12- विद्वान CESTAT ने आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-ए/14-ए) के कंडिका-5 में यह देखते हुए भी कि भले ही दिनांक 12-5-2005 या 6-7-2005 तक की देरी का स्पष्टीकरण मान लिया गया हो, 6-3-2007 तक अपील दायर करने में और देरी करने का कोई औचित्य नहीं था, अपील को समयबाधित मानते हुए यह पाते हुए खारिज कर दिया कि अपील दायर करने में 6 वर्ष से अधिक की देरी इतनी अधिक है कि उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

13- दूसरी ओर, उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस अपील को दायर करने में 6 वर्ष से अधिक की अत्यधिक देरी हुई थी। अपीलकर्ता ने आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के बजाय, आदेश की पुनर्विलोकन करने और दंड एवं जुर्माने को रद्द करने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों के समक्ष तुच्छ अभ्यावेदन/याचिकाएँ दायर कीं, जबकि इस मामले में अपीलकर्ता के पास उपलब्ध एकमात्र उपाय धारा 35-एफ के तहत अपील दायर करना था। अपीलकर्ता अपील दायर करने में हुई 6 वर्षों की अत्यधिक देरी का कोई भी पर्याप्त कारण नहीं बता पाया है। बहरहाल, मई/जुलाई 2005 में सीओडी से मंजूरी मिलने के बाद भी अपीलकर्ता के पास अपील दायर न करने कंडिका कोई कारण नहीं था और अपील वर्ष 2007 में दायर की गई थी। कलकत्ता नगर निगम बनाम पवन कुमार सराफ और अन्य¹, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचीन बनाम श्री मैथ्यू कुरियन, प्रोप. साउथ इंडिया प्रोडक्ट्स² और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, मद्रास बनाम ए. एम. बिलाल एवं कंपनी³ के मामलों का अवलंब लिया गया है।

1 (1992) 2 Supreme Court Cases 400

2 1999 AIR SCW 3867

3 1999 AIR SCW 4740



14- हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमने संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया है।

15- पवन कुमार सराफ व अन्य (सुप्रा) के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण संशोधित आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका में खाय अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 तथा 309 दिनों के विलंब के अंतर्गत उत्तरदातागण को 309 दिनों के विलंब से बरी करने के अधीनस्त विचारण अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया। इन परिस्थितियों में, यह पाया गया कि यह सही है कि अदालत को याचिका दायर करने में हुई देरी को क्षमा करने में उदारता दिखानी चाहिए, लेकिन जब तक पर्याप्त कारण न बताए जाएँ, देरी अक्षम्य है। ऐसा कानून नहीं है कि जब राज्य या किसी प्राधिकारी द्वारा विलंब क्षमा हेतु आवेदन दायर किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से विलंब को क्षमा करना चाहिए, चाहे पर्याप्त कारण बताए गए हों या नहीं।

16- श्री मैथ्यू कुरियन (सुप्रा) के मामले में, आबकारी विभाग ने धारा 35-एल के अंतर्गत 478 दिनों के विलंब से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा विलंब के लिए दिए गए त्रुटियों से भरे कारणों का विश्लेषण करने के बाद, यह पाया कि अपील बिना किसी मसौदे को ध्यान से पढ़े, लापरवाही से तैयार और दायर की गई है और अपीलकर्ता ने न्यायालय को हल्के में लिया है। साथ ही, यह भी ध्यान में रखते हुए कि विलंब के लिए केवल एक ही लेन-देन करने वाले को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, दोषी लेन-देन करने वाले के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई के बारे में कोई और विवरण दिए बिना, विलंब क्षमा आवेदन को खारिज कर दिया।

17- ए. मोहम्मद बिलाल (पूर्विक) के मामले में, आबकारी अधिनियम की धारा 35-एल के अंतर्गत अपील विभाग द्वारा 502 दिनों के विलंब से दायर की गई थी, तथापि, विलंब क्षमा आवेदन में, कोई भी स्पष्टीकरण, यहाँ तक कि संतोषजनक या उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। इन परिस्थितियों में, विलंब क्षमा आवेदन खारिज कर दिया गया।

18- वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि:

- यह स्वीकृत है कि अपीलकर्ता द्वारा सेवा कर के भुगतान के संबंध में विवाद भारत सरकार के दो विभागों के बीच है।



- प्रारंभ में, आयुक्त ने अपने आदेश, अनुलग्नक-ए/3 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, सेवा कर संभाग, रायपुर, को टेलीफोन बिलों के विलंबित भुगतान पर अधिभार के अतिरिक्त ब्याज जमा करने में देरी के लिए प्रत्येक माह या माह के किसी भाग के लिए **1.5%** की दर से सेवा कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना करनी चाहिए। जुलाई, **1994** के बिल और राशि वसूल की और कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया और कार्यवाही बंद कर दी। तत्पश्चात्, **27-9-2001** को आदेश में एक परिशिष्ट के रूप में संशोधन किया गया और प्रत्येक दिन के लिए **200/-** रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसके दौरान यह विफलता जारी रही, लेकिन यह उस सेवा कर की राशि से अधिक नहीं होगी जिसका भुगतान वह नहीं कर पाया।

- अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि समान पक्षों के बीच समान विवाद का अंतिम निर्णय सीईएसटीएटी द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया है और सेवा कर जमा करने में देरी के लिए सेवा कर और जुर्माना लगाने को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि सेवा कर जमा करने में कोई देरी नहीं हुई है और देरी केवल सरकारी खाते में सेवा कर को सही बजट मद में स्थानांतरित करने के संबंध में है।

- अपीलकर्ता को विवाद समिति द्वारा दिनांक **12-5-2005** की अपनी बैठक में उन टिप्पणियों के साथ अनुमति दी गई थी, जिन्हें हम पूर्वगामी कंडिकाओ में पहले ही पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं। अपीलकर्ता ने सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि प्राधिकारी सीओडी द्वारा की गई टिप्पणियों और समान पक्षों के बीच विषय-वस्तु में सीईएसटीएटी के विभिन्न निर्णयों के आलोक में जुर्माना और ब्याज लगाने पर विचार करेंगे, उत्तरदातागण के प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करते रहे।

19- इन परिस्थितियों में, हमारा मत है कि अपीलकर्ता द्वारा दर्शाया गया कारण पर्याप्त और वास्तविक था और सीईएसटीएटी को अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील पर विचार करना चाहिए था।



20- परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

मामला सीईएसटीएटी को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि वह अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करे।

वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा,
न्यायाधीश

सही /-
आर.एन. चंद्राकर,
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smriti Shrivastava (Advocate)